न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी : श्री कैलास चन्द्र लखारा , आर.ए.एस

अपील संख्या आर टी ए/386/2017

उनवान

1. प्रभू लाल पिता भॅवर लाल शर्मा निवासी तिलोली, तहसील व जिला भीलवाडा
2. पूरणमल पिता भॅवर लाल शर्मा निवासी तिलोली तहसील व जिला भीलवाडा
3. गोपाल पिता भॅवर लाल शर्मा निवासी तिलोली, तहसील व जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण/वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा जिला भीलवाडा
2. बालुराम पिता जानकी लाल शर्मा, निवासी तिलोली, तहसील व जिला भीलवाडा

रेस्पोडेण्ट

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 23/2006 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.7.2017

अधिवक्तागण :–

1.श्री अम्बा लाल कुमावत, श्री सुरेश चन्द्र अहीर,अधिवक्ता अपीलार्थीगण
2.श्री दिनेश कुमार जोशी,अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2
3.श्री ओम प्रकाश सोनी, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय

दिनांक 11.12.2019

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

1. अपीलाधीन मामले के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने अधीनस्थ न्यायालय में वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 क एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के स्वामित्व एवं आधिपत्य तथा कब्जेकाश्त की आराजी ग्राम तिलोली पटवार हल्का तिलोली, भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र पुर तहसील एवं जिला भीलवाडा में आराजी नम्बर 289 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा दर्ज की गई है। जब कि वादीगण के नाम विरासत से जमाबंदी संवत 2018 से 2031 में वादीगण के नाम खसरा संख्या 100 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा भूमि दर्ज है , और उसी के अनुसार वादीगण आज भी उक्त आराजियात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। वर्तमान में जमाबंदी 2053 से 2056 में खसरा नम्बर 289 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा ही दर्ज की गई है जबकि वर्तमान रेकार्ड में वादीगण के नाम 2 बीघा 10 बिस्वा,दर्ज होनी चाहिये थी । इस प्रकार वादीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में 8 बिस्वा भूमि कम दर्ज की गई है। इस कारण वादीगण राजस्व रेकार्ड में दुरूस्ती कराने के अधिकारी हैं।

2. वादीगण की उक्त आराजियात जो राजस्व रेकार्ड में पुराने नम्बर (खसरा) 100 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा दर्ज है। जिसके नये नम्बर 289 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा पडे हैं। इस प्रकार सेटलमेण्ट के दौरान 08 बिस्वा भूमि कम दर्ज हो गई है। जबकि वर्तमान वादीगण के राजस्व रेकार्ड में 2 बीघा 10 बिस्वा भूमि दर्ज होनी चाहिये थी । अतः प्रतिवादी को पाबन्द किया जावे कि वे वादीगण को वादग्रस्त आराजी से बेदखल नहीं करें एवं किसी प्रकार की कार्यवाही वादीगण के विरूद्ध नहीं करें तथा वादीगण को कमी रकबा

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

8 बिस्वा को पूरा करते हुए राजस्व रेकार्ड में 2 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी प्रदान की जावे।

3. अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पंजिबद्ध किया गया एवं बाद विचारण अपीलाधीन निर्णय द्वारा वादी का वाद पत्र खारिज किया । जिससे व्यथित होकर यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की है।

4. अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

5. प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से दिनांक 19.8.2019 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सी पी सी प्रस्तुत की थी। जिसकी प्रति अधिवक्ता अपीलार्थीगण को दिलाई गई। अधिवक्ता प्रत्यर्थी संख्या 2/प्रार्थी का निवेदन है कि अपीलार्थीगण/वादीगण ने भू प्रबन्ध विभाग द्वारा दर्शित रास्ते की भूमि को अपने नाम पर कराने हेतु अनुतोष चाहा है। जबकि ऐसा अनुतोष माननीय न्यायालय द्वारा प्रदान नहीं किया जा सकता है। माननीय न्यायालय को मात्र कृषि भूमि से संबंधित विवाद जिनका उल्लेख अधिनियम एवं अनुसूचि मे दिया गया है के संबंध में ही प्रसंज्ञान लीने की अधिकारिता है। ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थीगण विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज होने योग्य है।

6. अधिवक्ता अपीलार्थीगण का निवेदन है कि भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान अपीलार्थीगण की आराजी का रकबा कम कर रास्ते में दर्ज कर दी गई थी । इसलिए अधीनस्थ न्यायालय में इन्द्राज दुरूस्ती एवं राजस्व रेकार्ड में कमी रकबे को पूरा करने हेतु वाद पत्र प्रस्तुत किया गया था। मौके पर कोई रास्ता नहीं है एवं न ही राजस्व नक्शे में कोई रास्ता दर्ज है। मात्र अपील की कॉलम संख्या 6 में आशंकावश विपक्षीगणों के आशय का उल्लेख किया है ।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

इन्द्राज दुरूस्ती का वाद विधिसम्मत प्रस्तुत किया है। अतः प्रत्यर्थी संख्या 2/प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी खारिज किया जावे।

7. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता ने अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री पारित की गई है उसकी जानकारी तत्स समय नही हो पाई थी। दिनांक 20.12.2017 को निर्णय की प्रति न्यायालय से प्राप्त होने पर जानकारी हुई। निर्णय की प्रति मिलने से अन्दर मियाद अपील प्रस्तुत की गई। अतः अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया जावे।

8. अपीलार्थी के योग्य अधिवक्ता का निवेदन है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से खारिज योग्य है। उनका यह भी निवेदन है कि वादी/रेस्पोडेण्ट संख्या 1 ने वाद पत्र के साथ जो जमाबंदी पेश की है, जिसमें वर्तमान खाते में वादी के नाम पर आराजी नम्बर 289 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा दर्ज रिकार्ड है जबकि वादीगण के नाम उक्त आराजी विरासत से प्राप्त हुई है एवं साबिक आराजी नम्बर 100 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा जमाबंदी संवत 2018 से 0221 में वादीगण के पिता सुखा वल्द रघुनाथ के नाम पर दर्ज थी। इस प्रकार वादीगण के नाम पर उक्त आराजी 2 बीघा 10 बिस्वा दर्ज होनी चाहिये लेकिन 08 बिस्वा भूमि राजस्व रिकार्ड में कम दर्ज हुई है। जिसकी इन्द्राज दुरूस्ती का वाद अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किया गया । जिस पर रेस्पोडेण्ट संख्या 1 तहसीलदार भीलवाडा ने उक्त तथ्य अपनी रिपोर्ट दिनांक 28.12.2005 में माना है। इसके बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने वादी के वाद को खारिज

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

किये जाने मे भारी भूल की है। इस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त किये जाने योग्य है।

9. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि पूर्व में न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तत की गई, जिसमें रिमाण्ड करते हुए निर्देश दिये गये थे। उक्त निर्देश की पालना करते हुए प्रकरण की सुनवाई कर गुणावगुण पर प्रकरण का निस्तारण किया जाना चाहिये था। जिसकी पालना अधीनस्थ न्यायालय ने नहीं की । इस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है।

10. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलार्थीगण को उक्त प्रकरण के राजस्व लोक अदालत में रखे जाने बाबत कोई नोटिस प्राप्त नही हुए न ही राजस्व लोक अदालत कैम्प सांगवा में पत्रावली पर हुए निर्णय की कोई जानकारी हो पाई। अपीलार्थीगण की अनुपस्थिति में अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित की गई है जो विधि विरूद्ध है। अपीलाधीन निर्णय व डिक्री प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत पारित किये जाने से खारिज योग्य है।

11. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि अपीलाधीन प्रकरण में कोई तनकियात भी कायम नहीं की गई न ही वादी की साक्ष्य ली गई । अपीलार्थीगण को साक्ष्य प्रदर्शित किये जाने का अवसर भी प्रदान नहीं किया गया । इस कारण अपीलाधीन निर्णय व डिक्री निरस्त योग्य है।

12. अपीलार्थीगण के योग्य अधिवक्ता का यह भी निवेदन है कि साबिक आराजी नम्बर 100 किसी अन्य सहखातेदार के खाते में दर्ज नहीं हुई है । बल्कि सेटलमेण्ट में उक्त आराजी के भूभाग में बिलानाम रास्ता दर्ज किया है जो गलत है। मौके पर कोई रास्ता नहीं है एवं वादी के पास मौके पर पूरी की पूरी आराजी कब्जेकाश्त में है लेकिन

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

राजस्व रिकार्ड में ही 08 बिस्वा कम दर्ज की गई है। लेकिन अब रेस्पोडेण्ट संख्या 2 उक्त 08 बिस्वा भूमि पर जबरन कब्जा कर पक्का निर्माण करने पर आमादा हो रहे हैं। जबकि उक्त आराजी से रेस्पोडेण्ट संख्या 02 का कोई लेना–देना नहीं है। इस कारण से उसको पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि वादी/अपीलाण्ट्स के कब्जेकाश्त में दखलन्दाजी नहीं करें व शांतिपूर्वक तरीके से उपयोग उपभोग करने देवें। उक्त आधार पर अपील अपीलार्थीगण स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को निरस्त किये जाने का निवेदन किया ।

13. प्रत्यर्थी संख्या की ओर से राजकीय अधिवक्ता का निवेदन है कि अपील अपीलार्थीगण मियाद के बिन्दु पर ही खारिज की जावे। अपीलार्थीगण ने अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का समुचित कारण नहीं दर्शाया है । साथ ही यह भी निवेदन किया कि अपीलार्थीगण/वादीगण अपने वाद को पर्याप्त साक्ष्य सबूत से साबित नहीं करा पाये हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने बाद विचारण जो निर्णय एवं डिक्री पारित की है वह विधिसम्मत है। अतः अपील अपीलार्थीगण खारिज की जावे।

14. हमनें उभयपक्ष के अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रेकार्ड, दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया । अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपील विलम्ब से प्रस्तुत करने का जो कारण अंकित किया है वह सद्भाविक एवं संतोषप्रद होने से अपीलार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकर कर अपील अपीलार्थीगण अन्दर मियाद मानी जाती है। प्रत्यर्थी संख्या 2/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 जाब्ता दीवानी खारिज की जाती है।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

15. अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा वाद पत्र अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीलवाड के समक्ष प्रस्तुत किया गया । जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विचारण निर्णय एवं डिक्री दिनांक 28.2.2006 को अपीलार्थीगण/वादीगण का वाद पत्र खारिज किया था। जिसकी अपील न्यायालय हाजा के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। जिस पर न्यायालय हाजा ने निर्णय दिनांक 7.7.2006 को अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड कर निर्देशित किया था कि अपीलार्थी के कमी रकबे के लिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य एवं दस्तावेज के आधार पर अधिक रकवे वाले खातेदार को पक्षकार बनाने पर नियमानुसार अजसिरेनो कार्यवाही कर निर्णय पारित करे। इस पर अधीनस्थ न्यायालय में प्रकरण पुनः दर्ज किया गया एवं अपीलाधीन निर्णय एवं डिक्री द्वारा अपीलार्थीगण/वादीगण का वाद पत्र खारिज किया गया । जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत की है।

16. अपीलार्थीगण/वादीगण ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 89, 92 क, एवं 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण के नाम विरासत से जमाबंदी संवत 2028 से 2031 में वादीगण के नाम खसरा संख्या 100 रकबा 2 बीघा 19 बिस्वा दर्ज थी एवं उसी अनुसार वे उक्त भूमि पर काबिज है। वर्तमान जमाबंदी संवत 2053 से 2056 में खसरा नम्बर 289 रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा ही दर्ज की गई है। जबकि वर्तमान रेकार्ड में वादीगण के नाम 2 बीघा 10 बिस्वा दर्ज हो नी चाहिये। इस प्रकार 08 बिस्वा भूमि वादीगण के नाम पर कम दर्ज की गई है। उक्त 08 बिस्वा भूमि भू प्रबन्ध कार्यवाही के दौरान कम दर्ज की गई है। अतः 08 बिस्वा

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

रकबा की पूर्ति कर 2 बीघा 10 बिस्वा राजस्व रेकार्ड में वादीगण के नाम पर दर्ज की जावे।

17. अपीलार्थीगण/वादीगण ने जो खसरा प्रस्तुत किया है उसमें साबिक आराजी नम्बर 100 के वर्तमान रकबा 2 बीघा व 02 बिस्वा खड्डा कुल 2 बीघा 02 बिस्वा दर्शाया गया है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न रकबा बरारी रिपोर्ट पटवारी दिनांक 2.8.20105 में भी साबिक आराजी नम्बर 289 का रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा बनना अंकित किया है साथ ही नजरी नक्शा भी प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थीगण ने ऐसा कोई रेकार्ड खसरा मिलान प्रस्तुत नहीं किया है जिससे अपीलार्थीगण का साबिक रेकार्ड के मुकाबले रकबा 2 बीघा 02 बिस्वा नहीं बनकर 2 बीघा 10 बिस्वा बनना साबित होता है। अपीलार्थीगण /वादीगण यह भी पर्याप्त साक्ष्य, दस्तावेज से साबित नहीं कर पाये हैं कि उक्त 08 बिस्वा कमी रकबा किस आराजी नम्बर में मिलाया गया है एवं उसके खातेदार काश्तकार कौन है। जिनका रकबा कम कर अपीलार्थीगण/वादीगण का रकबा पूरा किया जा सके। जबकि अपीलार्थीगण/वादीगण की जिम्मेदारी है कि वह अपने वाद को पर्याप्त साक्ष्य, सबूत के आधार पर साबित करे। अपीलार्थीगण/वादीगण वाद पत्र में अंकित कथनों को पर्याप्त साक्ष्य सबूत से साबित नहीं करा पाये हैं। **"न्यायालय हाजा ने अपने निर्णय दिनांक 7.7.2006 को अपीलार्थीगण की अपील स्वीकार कर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड कर निर्देशित किया था कि अपीलार्थी के कमी रकबे के लिए अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये साक्ष्य एवं दस्तावेज के आधार पर अधिक रकबे वाले खातेदार को पक्षकार बनाने पर नियमानुसार अजसिरेनो कार्यवाही कर निर्णय पारित करे।"** इस पर अधीनस्थ न्यायालय में पुनःप्रकरण दर्ज किया गया उसके बावजूद अपीलार्थीगण/वादीगण ने अपने वाद को साबित कराने

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अथवा अपना कमी रकबा किस खातेदार की आराजी में सम्मिलित किया गया । उस खातेदार का भू प्रबन्ध से पूर्व कितना रकबा था एवं उसके रकबे में कितनी बढोतरी भू प्रबन्ध विभाग द्वारा की गई है। साबित कराने हेतु कोई साक्ष्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये है। उक्त प्रकरण वर्ष 2001 में अधीनस्थ न्यायालय में पंजीबद्ध किया गया एवं वर्ष 2019 तक अपीलार्थीगण/वादीगण द्वारा अपने वाद को साबित कराने हेतु पर्याप्त साक्ष्य सबूत न तो अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये गये एवं न ही न्यायालय हाजा में ही प्रस्तुत किये गये है। उसके बावजूद अपीलार्थीगण का यह कथन कि उसे सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया गया है उचित प्रतीत नहीं होता है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बाद विचारण जो निर्णय पारित किया है वह विधिसम्मत है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं।

18. अतः अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.7.2017 को यथावत रखा जाता है । पर्चा डिक्री मूर्तिब की जावे।

19. निर्णय आज दिनांक 11.12.2019 को सरे इजलास सुनाया गया ।

(कैलाश लखारा)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी भीलवाडा

न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,भीलवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री कैलास चन्द्र लखारा ,आर ए एस

अपील संख्या आर टी ए/386/2017

उनवान

1. प्रभू लाल पिता भॅवर लाल शर्मा निवासी तिलोली, तहसील व जिला भीलवाडा
2. पूरणमल पिता भॅवर लाल शर्मा निवासी तिलोली तहसील व जिला भीलवाडा
3. गोपाल पिता भॅवर लाल शर्मा निवासी तिलोली, तहसील व जिला भीलवाडा

अपीलार्थीगण/वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा जिला भीलवाडा
2. बालुराम पिता जानकी लाल शर्मा, निवासी तिलोली, तहसील व जिला भीलवाडा

रेस्पोडण्ट

अपील विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के प्रकरण संख्या 23/2006 निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.7.2017

अपील में डिक्री

(आदेश 41 का नियम 35)

उक्त प्रकरण संख्या आरटीए/386/2017 मे उपखण्ड अधिकारी, भीलवाडा के आदेश की अपील इस न्यायालय मे होने पर निम्नांकित डिक्री जारी की जाती हैः–

यह अपील तारीख 11.12.2019 को अपीलाण्ट की ओर से श्री अम्बालाल कुमावत वकील एवं प्रत्यर्थी संख्या 2 की ओर से श्री दिनेश कुमार जोशी तथा राजकीय अधिवक्ता श्री ओम प्रकाश सोनी की उपस्थिति मे दिनांक 11.12.2019 को सुनवाई के लिये आने पर आदेश दिया जाता है कि:–

अपील अपीलाण्ट्स सारहीन होने से खारिज की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 12.7.2017 को यथावत रखा जाता है

इस अपील के खर्चे जिनका ब्यारा नीचे दिया जा रहा है जिनकी रकम है तथा अपीलाण्ट के द्वारा दिये जाने है तथा मूल वाद के खर्चे जो प्रत्यर्थी द्वारा दिये जाने है।

(कैलास चन्द्र लखारा)
भू–प्रबन्ध अधि॰ एवं पदेन
राजस्व अपली प्राधिकारी, भीलवाड़ा

आज दिनांक 11.12.2019 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुहर से यह डिक्री जारी की जाती है।

(के सी लखारा)
(कैलाश चन्द्र लखारा)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, भीलवाड़ा

अपील के खर्चे

अपीलाण्ट

1. अपील के लिये ज्ञापन
2. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस

रेस्पोडेण्ट

1. शक्ति पत्र के लिये स्टाम्प
2. अर्जी के लिये स्टाम्प
3. आदेशिकाओं की तामील
4. प्लीडर की फीस